संख्या-395/2026/1798/22-2-2025-17(620)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अंजनी सिंह पुत्र श्री रामजी सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी अंजनी सिंह पुत्र श्री रामजी सिंह (दिनांक 21.03.2024 तक बन्दी की आयु 51 वर्ष, 04 माह, 04 दिन) ग्राम-हरहरी, थाना-मरदह, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बंदी द्वारा कहा-सुनी के विवाद को लेकर दिनांक 29.05.2006 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-356/2006, धारा-302/149, 148, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-03, गाजीपुर द्वारा दिनांक 20.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2016 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए दोषमुक्त किया गया, जिसे मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2017 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.03.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 28 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किया जा सकता है एवं स्थानीय थाना द्वारा समयपूर्व रिहाई का पूर्ण विरोध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 21.03.2024 तक बंदी की 51 वर्ष 04 माह 04 दिन की आयु, मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 21.03.2024 तक अपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 28 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अंजनी सिंह (बन्दी संख्या-461/2019) पुत्र श्री रामजी सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-395/2026/1798(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।